भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 571
दिनांक 06 फरवरी, 2025

होलोंगपार गिब्बन अभयारण्य में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ड्रिलिंग परियोजनाएं

571. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनाओं के आवंटन और मंजूरी को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाइड्रोकार्बन भंडार जो अभी तक अप्रयुक्त है के संबंध में कोई पुष्ट डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिसूचित होलोंगपार गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ड्रिलिंग को हरी झंडी देने के क्या कारण हैं और इसमें शामिल फर्म को चुनने के मानदंड क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): तेल और गैस क्षेत्र में अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अनुज्ञप्तियाँ तेलक्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं। खुला रकबा अनुज्ञप्ति नीति (ओएएलपी) के अन्तर्गत भारत में एक खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनन्वेषित तेल और गैस ब्लॉकों (रकबों) के निमित्त कम्पनियों को बोली लगाने की अनुमति दी गई है। राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के अनुसार कार्य-कार्यक्रम अथवा वित्तीय शर्तों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है और ब्लॉक प्रदान किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन सिद्ध हाइड्रोकार्बन भण्डारों से किया जाता है जिसे अन्वेषणात्मक प्रयासों से की गई खोजों और मूल रिजर्वायरों के निरन्तर पुनर्आंकलन के माध्यम से निरन्तर संवर्धित किया जाता है। देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कुल भण्डार का वर्तमान में आंकलन निम्नानुसार है-

	कच्चे तेल का भण्डार (एमएमटी) (2पी+2सी)	प्राकृतिक गैस का भण्डार (बीसीएम) (2पी+2सी)
कुल योग	**671.4**	**1094.2**

[पेट्रोलियम संसाधन प्रबधंन प्रणाली (पीआरएमएस) के अनुसार, दिनांक 01.04.2024 तक]

स्रोत – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

बीसीएम – बिलियन क्यूबिक मीटर, एमएमटी – मिलियन मीट्रिक टन, (2पी – सिद्ध + संभावित, 2सी - आकस्मिक)

अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा अन्वेषण गतिविधियाँ तभी ही आरम्भ की जा सकती है, जब तक सभी अनुमन्य सांविधिक संस्वीकृतियों, यथा पर्यावरणीय संस्वीकृति (ईसी), तटीय क्षेत्र की संस्वीकृति आदि प्राप्त न कर ली

जाएँ। ईसी प्रदान किए जाने के निमित्त पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) अध्ययन किया जाना होता है जिसमें पर्यावरण पर अन्वेषण गतिविधियों का उचित मूल्यांकन और लोक-सुनवाई शामिल है। ईएंडपी गतिविधियाँ जनसामान्य की आजीविका बढ़ाने और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने की दिशा में तालमेल करने के साथ आरम्भ होता हैं। संरक्षित क्षेत्रों के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के भीतर गतिविधियों के लिए, वन्यजीव संस्वीकृति भी अनिवार्य है। यह संस्वीकृति राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति द्वारा निर्गत की जाती है, जो ऐसे क्षेत्रों में संस्वीकृति प्रदान करने के निमित्त एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। यह संस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रचालक ईएसजेड में वेधन सम्बन्धी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है।

हॉलोंगापार गिबेन अभयारण्य ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2017/4 की ब्लॉक-सीमा के भीतर आता है। यह ब्लॉक असम अराकान बेसिन में स्थित है और इसे ओएएलपी दौर-I के अन्तर्गत मेसर्स वेदांता लिमिटेड (100% भागीदारी हित) को प्रदान किया गया था। इस ब्लॉक के राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन, जिसमें समिति द्वारा क्षेत्र का दौरा शामिल है, के बाद एए-ओएनएचपी-2017/4 ब्लॉक में अन्वेषण कूपों के वेधन के निमित्त पर्यावरण संस्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, असम द्वारा मेसर्स वेदांता लिमिटेड को प्रदान की गई थी। इसके अलावा, अन्वेषण सम्बन्धी प्रचालन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार किए जा रहे हैं।

****